नियमावली

1. संस्था का नाम – संध्या देवी रामदेव शर्मा शिक्षा समिति
2. संस्था का पता – ग्राम शफीपुर, पो0 पुरैनी, तह0 अतरौली, जिला अलीगढ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य – संस्था उद्देश्य स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :–

1. **संरक्षक सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
2. **आजीवन सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
3. **साधारण सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 250/– रूपया सदस्यता शुल्क व चंदा के रूप में देगा वह सज्जन इस समिति का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।
4. **विशिष्ट सदस्य** :– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकारद्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की सख्या 5 से अधिक न होगी।

6. **सदस्यता की समाप्ति** :–

1. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2. आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
6. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :– (अ) साधारण सभा, (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :– अ. गठन :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें :– साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

स. सूचना अवधि :– साधारण सभा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी।

द. गणपूर्ति :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि :– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेषन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी।

गौरव

अमित कुमार शर्मा विजयपाल

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

29.7.14